UPRN180022162023

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 109/2023

श्रीमती विमलेश सिंह आदि बनाम राजमणि मिश्रा आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी०

दिनांक – 19/09/2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० वादीगण की तर्फ से प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खतौनी10 ग 1, इन्तखाब खसरा 11 ग 1, उपजिलाधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति 12 ग 1 व 13 ग 1, उपजिलाधिकारी के आदेश की प्रति 14 ग 1, आईजीआरएस सन्दर्भ की आख्या 15 ग 1, भूचित्र 16 ग 1, विक्रय पत्र की छायाप्रति 17 ग 1–10, खतौनी 19 ग 1, खतौनी 20 ग 1 व विवादित स्थल की फोटो प्रस्तुत की गयी हैं।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि वादीगण द्वारा विवादित स्थल पर निर्माण कार्य को रुकवाए जाने हेतु कई भरसक विधिक प्रयास किये गये। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि ऐसी आपातकालीन स्थिति में जरिए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य से न रोका गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 6 ग बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रथम दृष्टया बिना गुण–दोष पर विचार किये स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6 ग स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 व 2 को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय के अग्रिम आदेश तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखें। विवादित स्थल सं० 340 रकवा 0.0310 हे० में से क्षेत्रफल 104 वर्गमीटर पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे एवं वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे व दखल में हस्तक्षेप न करें।

वादीगण आदेश 39 नियम 3 की पैरवी अविलम्ब करें।

पत्रावली वास्ते आपत्ति/जवाबदावा6 ग दिनांक 11/10/2023 को पेश हो।

(इन्दिरा दानू)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर,कानपुर देहात
यू०पी० 3349

Digitally signed by INDIRA DANU
Date: 2023.09.19 16:22:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court